पत्रक
(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

पीठासीन अधिकारी इन्द्राज सिंह आर.ए.एस. नवलगढ़

रतनलाल दत्तक पुत्र गोविन्दाराम जाति जागिड़ निवासी ब्राहमण निवासी ग्राम बाय तहसील नवलगढ़।	–बनाम–	भूमि धारक (तहसीलदार) राजस्थान सरकार
किस्म मुकदमा – ईजराय		मु.नं. 27/2020 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
23.11.20	आज यह ईजराय प्रस्तुत हुई। ईजराय में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ईजराय दर्ज दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार नवलगढ को मुकदमा नम्बर 174/2020 का फैसला डिक्री दिनांक 05.10.2020 की प्रमाणित प्रति भेजकर डिक्री की क्रियान्विति नियमानुसार कर पालना रिपोर्ट दिनांक 29.12.2020 से पूर्व भिजवाई जाने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बईन्तजार रिपोर्ट दिनांक 29.12.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ	

29.12.20
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पठ [illegible] महोदय दीगर कार्यों [illegible] व्यस्त हैं। पत्रावली [illegible] दिनांक 17.11.21 को पेश हो।
रीडर

17/3/21 [illegible] पेश हुई। [illegible] द्वारा [illegible] गया है।
31/5/21
रीडर

2/8/21
कोरोना लॉकडाउन के पश्चात पत्रावली तारीख पर पेश हुई। वकील आवेदक उप०/तह० नवलगढ़ से पत्रांक 679 दिनांक 10/3/21 से पालना रिपोर्ट पत्रावली पर प्राप्त हो चुकी है। अतः पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ